10/2/26

पत्रा. प्रेम श्री वगैरा प्रार्थी द्वारा चुंगी दर्ज वादी N.A. compliance में लागू किया जा चुका है अतः प्रा.पत्र 2/2 RTA का वाद औचित्य शेष नहीं रह पाता है। प्रा.पत्र रद्दी स्तर पर लागू किया जाता है।

पत्रा फैसला सुनाया हो, नंबर में वाद दर्ज दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर